

## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

235  
/ 2021

सबलु डी कल्याण 235

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

26/7/21

प्रार्थीगण पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर प्रस्तुत हुई। पक्षकारान ने अपने-अपने अभिभाषकगण के साथ उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है एवं पक्षकारान राजीनामे में लिखी इबारत अनुसार निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 15/02/2021 में आंशिक संशोधन कर अब दोनो पक्ष छोड़ी गयी 10 फीट जमीन के स्थान पर 15 फीट जमीन आर-पार छोड़ने के लिये तैयार है जो रस्ते के उपयोग हेतु दोनों पक्षों का सामीलाती रहेगा अतः राजीनामा अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/02/2021 में आंशिक संशोधन हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

चूँकि उभयपक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री जैर अपील में आंशिक संशोधन हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की इस्तदुआ की गयी है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किये बगैर मात्र उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामे के अनुसार प्रकरण मूल प्रार्थना पत्र राजीनामा सलग्न कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के परिपेक्ष में पक्षकारान को सुनकर पुनः संशोधित निर्णय व डिक्री जारी करे। तदनुसार निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 15/02/2021 निरस्त की जाकर राजीनामा अनुसार अपील निस्तारित की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 जयपुर

